कार्यवाही विवरण	[illegible]
15-3-19 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। विपक्षीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये जावे। पत्रावली वास्ते ~~पत्रावली~~ तलबी दिनांक 16-5-19 ~~19-4-19~~ को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द	
16-5-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण को आवाजे लगवाई गई लेकिन विपक्षीगण स्वयं अथवा उनकी ओर से अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। [signature] सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द	

पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :-

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-122 राज. ले. रे. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ में उसके खाते एवं कब्जे की भूमि स्थित है जिसके ख. नं. 227 रव. नं. 1311 रकबा 1.05 ख. नं. 4621 रकबा 0.12 रव. नं. 5102/3662 रकबा 1.06 रव. नं. 5106/5081 रकबा - 0.13 कुल किता 4 रकबा 3.16 बीघा है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदार होकर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्विघ्न रूप से काश्त पैदावार करता चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की दिवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से लगते हुए पड़ोसी है हर समय प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से फसल बुवाई एवं कटाई के समय सीमा - संबंधी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है। प्रार्थी उसकी भूमि का चारो पूर्वक उपयोग

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
उपभोग कर सकेगा। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को सम्मन तामील होजाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है। प्रार्थी की	

सहायक कलेक्टर
...,जिला राजसमन्द

उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हो जाने पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच से जो सीमा संबंधी विवाद है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी उसकी भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ मे स्थित प्रार्थी की भूमि खा. नं. 227 ख.नं. 1311, 4621, 5108/3662, 5109/5081 कुल किता 5 रकबा 3.16 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर मौके पर पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट पेश करे।